न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2021/212

देवलाल आयु 70 वर्ष आत्मज श्री गोपाल उर्फ कृष्णगोपाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–

1. काली बाई आयु 70 वर्ष पत्नी स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. मोहन आयु 55 वर्ष पुत्र स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. बनवारी आयु 40 वर्ष पुत्र स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
4. महेन्द्र आयु 35 वर्ष पुत्र स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
5. जुगराज आयु 30 वर्ष पुत्र स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
6. ओमप्रकाश आयु 28 वर्ष पुत्र स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
7. लटूरी बाई आयु 59 वर्ष पुत्री स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
8. गंगा बाई आुय 38 वर्ष पुत्री स्व0 देवलाल जाति मीणा निवासी ग्राम कांदीहेडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगर विकास न्यास, कोटा जिला कोटा ।
3. श्रीमान् उप पंजीयक महोदय कोटा जिला कोटा ।

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :– 1. श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री लीलाधर सिंह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 21.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 21.10.2021 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट (मृतक) देवलाल ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188, 92ए एवं 209 के अन्तर्गत ग्राम आनन्दपुरा उर्फ फूटातालाब तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी के सम्बन्ध में वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण कम 1 लगायत 2 के द्वारा बिना वादी को सूचित किये विधि–विरूद्ध कार्यवाही करते हुए धारा 90 बी के अन्तर्गत सिवायचक दर्ज कर दिया । वादग्रस्त आराजी पर वर्तमान में वादी काबिज काश्त है । वादग्रस्त आराजी के विरूद्ध धारा 90 बी की कार्यवाही प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा किये जाने के दौरान किसी प्रकार का कोई नोटिस वादी को नहीं दिया गया और न ही वादी को सम्यक् रूप से सूचना दी गई । प्रतिवादीगण बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों से विपरीत वादी की कृषि भूमि को प्रतिवादी कम 02 के नाम हस्तान्तरित करके उसे अनाधिकृत रूप से उसकी भूमि से बेदखल करने पर आमादा हैं ।

3. अतः वाद वादी स्वीकार कर वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री पारित की जावे कि वादी को वादग्रस्त आराजी का खातेदार कृषक घोषित किया जावे । राजस्व रिकॉर्ड में नगर विकास न्यास का नाम विलोपित कर वादी का नाम खातेदारी में दर्ज किया जावे । प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी के खातेदारी की भूमि पर बिना किस्म परिवर्तन कराये आवासीय प्रयोजनार्थ हेतु कोई भूखण्ड निर्माण आदि कार्य नहीं करें तथा वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. तत्पश्चात् मृतक देवलाल के कायममुकाम द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 01.09.2021 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी देवलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को होने के उपरान्त मृत्यु प्रमाण पत्र प्रार्थीगण को दिनांक 08.04.2021 को प्राप्त हुई । तत्समय कोरोना वायरस का पूर्ण रूप से प्रभाव रहने एवं प्रार्थीगण अपने पिता की मृत्यु के बाद शोक मग्न रहने से भी प्रार्थीगण अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके और कोरोना काल का प्रभाव रहने के दौरान न्यायालयों में तारीख पेशियॉ बाहर ही चस्पा की जाती रही है । इस कारण प्रार्थीगण विधि प्रावधानों के अनुसार कायममुकाम का प्रार्थना पत्र समय पर पेश नहीं कर सके । ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किये जाने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य करते हुए प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी स्वीकार फरमाया जाकर मृतक वादी देवलाल के कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाने की अनुमति प्रदान करें । अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया ।

5. प्रतिवादी कम 02 नगर विकास न्यास द्वारा परीक्षण न्यायालय में दिनांक 01.09.2021 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि वादी देवलाल की मृत्यु दिनांक 10.03.2021 को हो चुकी है । वादी की मृत्यु हो जाने के उपरान्त मृतक के वारिसानर द्वारा 90 दिन की अवधि में कायममुकाम बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है । इस कारण अब वाद अबेट हो चुका है तथा खारिज होने योग्य है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर विचाराधीन वाद को खारिज फरमाया जावे ।

6. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2021 के द्वारा प्रतिवादी कम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत् खारिज करने वाद को स्वीकार कर वादी का वाद अबेट होना मानते हुए खारिज कर दिया ।

7. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2021 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट (मृतक) देवलाल के कायममुकामान ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि देवलाल जी की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को हो चुकी थी । तत्समय कोरोना महामारी का पूर्ण रूप से प्रभाव रहने से अपीलान्टगण ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके और कोरोना का प्रभाव रहने के दौरान न्यायालयों में तारीख पेशियॉ बाहर से ही चस्पा की जाती रही हैं । न्यायालयों में सुनवाई प्रारम्भ होने के समय जिन व्यक्तियों के वेक्सीन के दोनों टीके लगे हो वही न्यायालय में उपस्थित आयेगा जबकि अपीलान्टगण के द्वारा न्यायालय में सुनवाई के समय एक ही टीका लगा था और दूसरा टीका 03 माह के अन्तराल में लगना था । इस कारण अपीलान्टगण समय पर आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सके थे । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना था फिर भी परीक्षण न्यायालय ने प्रतिवादी कम 02 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद वादी खारिज कर दिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मृतक वादी देवलाल ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया था जिसमें प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा पेश हो चुका था । परीक्षण न्यायालय ने वादी द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी को अकृषि प्रयोजनार्थ काम में लिया जाना मानते हुए वादी के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90 बी एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अवैधानिक रूप से वादी के खातेदारी अधिकार समाप्त कर राज्यहित में पुनर्ग्रहित किया गया तथा वादग्रस्त आराजी वर्तमान में प्रतिवादी कम 02 नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है । वादी देवलाल की मृतयु दिनांक 19.03.2021 को हो चुकी है। वादी के कायममुकाम द्वारा मृतक देवलाल के कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने हेतु परीक्षण न्यायालय में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का पेश किया उक्त प्रार्थना पत्र के साथ धारा 05 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी पेश किया था परन्तु परीक्षण न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र को विधि सम्मत प्रतीत होना नहीं मानते हुए अबेट होना मानकर खारिज कर दिया । देवलाल जी की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को हो चुकी थी । तत्समय कोरोना महामारी का पूर्ण रूप से प्रभाव रहने से अपीलान्टगण ने अपने अभिभाषक से सम्पर्क नहीं कर सके और कोरोना का प्रभाव रहने के दौरान न्यायालयों में तारीख पेशियॉ बाहर से ही चस्पा की जाती रही हैं । न्यायालयों में सुनवाई प्रारम्भ होने के समय जिन व्यक्तियों के वेक्सीन के दोनों टीके लगे हो वही न्यायालय में उपस्थित आयेगा जबकि अपीलान्टगण के द्वारा न्यायालय में सुनवाई के समय एक ही टीका लगा था और

दूसरा टीका 03 माह के अन्तराल में लगना था । इस कारण अपीलान्टगण समय पर आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश नहीं कर सके थे । प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टगण के स्वत्व अधिकारों का निर्धारण होना था । परीक्षण न्यायालय ने अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2021 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में 2017 (1) डीएनजे (राज0) पेज 384 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण द्वारा जानबूझकर देरी से प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी पेश किया है । मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी मिथ्या तथ्यों के आधार पर पेश किया गया था । देवलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को होना बताया है तथा कायममुकाम का प्रार्थना पत्र 90 दिन की अवधि में पेश नहीं किया है । परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित कर वाद अबेट होने के आधार पर खारिज किया है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2021 बहाल रखा जावे।

11. रेस्पोडेन्ट कम 02 के विद्वान् अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलान्टगण ने परीक्षण न्यायालय में आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादी देवलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को होना बताया गया है तथा कायममुकामान का प्रार्थना पत्र 90 दिन की अवधि में पेश नहीं कर 160 दिन बाद पेश किया गया है जो अवधि बाहर है । मृतक के वारिसान द्वारा वाद को अबेट से मुक्त कराये जाने का अलग से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है । इस कारण आदेश 22 नियम 03 सीपीसी के अनुसार वादी का वाद अबेट हो चुका है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 21.10.2021 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2012 (2) (राज0) पेज 729 उद्धरत की ।

12. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया । वादी मृतक देवलाल ने परीक्षण न्यायालय में हक घोषणा एंव स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया । तत्पश्चात् दौराने वाद वादी देवलाल की दिनांक 19.03.2021 को मृत्यु हो गई थी जिस पर वादी के कायममुकाम ने परीक्षण न्यायालय में दिनांक 01.09.2021 को प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रस्तुत कर मृतक देवलाल के कायममुकाम को रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया । प्रतिवादी कम 02 ने भी दिनांक 01.09.2021 को प्रार्थना पत्र पेश कर मृतक वादी के कायममुकामान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अवधि बाधित होने के आधार पर वाद अबेट होना कथन करते हुए अबेट के आधार पर खारिज करने का कथन किया । परीक्षण न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा वाद वादी अबेट होना मानते हुए खारिज कर दिया ।

13. परीक्षण न्यायालय ने उक्त बाद को वादी देवलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को हो जाने पर उनके कायममुकाम द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के तहत 90 दिवस के अन्दर प्रस्तुत नहीं होने से उक्त वाद अबेटमेंट के आधार पर खारिज किया गया, जो विधि सम्मत प्रतीत नहीं होता है । देवलाल की मृत्यु दिनांक 19.03.2021 को केवल पॉच दिवस पश्चात् ही दिनांक 24.05.2021 को पहली पेशी थी । इसके तुरन्त उपरान्त स्वयं परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 28.04.2021, 25.05.2021, 09.06.2021 कोरोना महामारी के कारण लॉक डाउन होने से तारीख पेशियॉ दी गई । विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट का यह कथन माना जा सकता है कि उक्त अवधि में तारीख पेशी की सही एवं समय पर जानकारी कई बार नहीं हो पायी । दिनांक 12.08.2021 को पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण होना अंकित किया है तथा पत्रावली दिनांक 01.09.2021 को पेश हुई तथा दिनांक 01.09.2021 को ही प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 03 सीपीसी पेश हुआ तथा इसी के साथ मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र पेश हुआ । चूँकि कोराना काल में लॉकडाउन तथा कई तरह की गतिविधियॉ प्रतिबन्धित थी, ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय को माननीय उच्च न्यायालय के नोटिस दिनांक 29.09.2021 में अंकित निर्देशों एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों एवं निर्णय की भावना के अनुरूप अपीलान्ट के प्रार्थना आदेश 22 नियम 03 सीपीसी पर मियाद के बिन्दु पर नरमी का रूख अपनाना चाहिए था । परीक्षण न्यायालय ने उक्त वाद को अबेट हो जाने के आधार पर खारिज करने में त्रुटि की है । हम विद्वान् अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के नोटिस दिनांक 29.09.2021 की रोशनी में अपीलान्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदशे 22 नियम 03 सीपीसी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपीलान्टगण को सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

14. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.10.2021 निरस्त किया जाता है । प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्टगण को रिकॉर्ड पर लेते हुए उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 30.08.2022 को परीक्षण न्यायालय में उपस्थित हों ।

15. निर्णय आज दिनांक 21.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा